

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग

प्रेस

विज्ञापित

बजट वर्ष 2010–11

बजट वर्ष 2010–11 के मुख्य बिन्दु

- ◆ चालू वित्तीय वर्ष हेतु योजना आयोग द्वारा 17322 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की गई थी। राज्य सरकार द्वारा संशोधित अनुमानों में योजनागत व्यय को 18561 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। आगामी वर्ष के लिए योजनागत व्यय 23822 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। यह योजना राज्य की अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक योजना है एवं योजना आयोग द्वारा वर्ष 2009–10 के लिये अनुमोदित योजना के आकार से 37 प्रतिशत अधिक है।
- ◆ वर्ष 2010–11 हेतु बजट का आकार 54348 करोड़ रुपये है, जो गत वर्ष के संशोधित अनुमानों से 8.32 प्रतिशत अधिक है।
- ◆ आगामी वर्ष के बजट में 48 करोड़ रुपये का बजट अधिशेष अनुमानित।
- ◆ आगामी वर्ष के बजट में कुल राजस्व आय 42463 करोड़ रुपये रहने की सम्भावना है, जो गत वर्ष के संशोधित अनुमानों से 14 प्रतिशत अधिक है।
- ◆ वित्तीय वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमानों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व 16663 करोड़ रुपये की तुलना में आगामी वर्ष के बजट में राज्य का स्वयं का कर राजस्व 19021 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 14 प्रतिशत अधिक है।
- ◆ बजट अनुमान 2010–11 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्य की स्वयं की कर राजस्व आय 7.87 प्रतिशत है।
- ◆ राज्य द्वारा लिये गये ऋणों के ब्याज भुगतान हेतु आगामी वर्ष के बजट अनुमानों में 7427 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ब्याज भुगतान, राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 17.49 प्रतिशत है।
- ◆ वर्ष 2010–11 के बजट में राज्य का राजस्व घाटा 1098 करोड़ रुपये एवं राजकोषीय घाटा 8461 करोड़ रुपये आकलित किया गया है। वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमानों में राज्य का राजस्व घाटा 3993 करोड़ रुपये है, इस प्रकार वर्ष 2010–11 में राजस्व घाटे में 2895 करोड़ रुपये की कमी संभावित है। राज्य का राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमान 2009–10 में जीएसडीपी का 4.50 प्रतिशत है जो आगामी वर्ष घटकर 3.50 प्रतिशत रहना अनुमानित है।
- ◆ तेरहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2011–12 में राजस्व घाटा समाप्त करने एवं राजकोषीय घाटे को 3 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान अनुमानों को देखते हुए राज्य यह लक्ष्य प्राप्त कर सकेगा।
- ◆ बजट अनुमान 2010–11 में पूंजीगत परिव्यय 7433 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 1907 करोड़ रुपये अधिक है। वर्ष 2010–11 का पूंजीगत परिव्यय जीएसडीपी का 3.07 प्रतिशत अनुमानित है, जबकि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में यह 2.51 प्रतिशत संभावित है।
- ◆ वर्ष 2010–11 के बजट में योजना मद के अन्तर्गत सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं के लिये वार्षिक योजना की 27 प्रतिशत राशि प्रावधित की गई है।

- ◆ चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में यद्यपि राजकोषीय घाटे में परिवर्तित बजट की तुलना में वृद्धि हुई है किंतु इसके बावजूद राज्य सरकार ऋणों की स्वीकृत सीमा से 550 करोड़ रुपये का कम ऋण ले रही है। बढ़े हुए राजकोषीय घाटे की पूर्ति उपलब्ध संसाधनों से ही की गई है।

बजट घोषणायें

- ◆ सुशासन एवं जवाबदेह प्रशासन हेतु प्रभावी कदम, जन अभाव अभियोग निराकरण आयोग का गठन, एवं महत्त्वपूर्ण पत्रावलियों के निस्तारण हेतु समय सीमा निर्धारित किया जाना।
- ◆ आरएसआरडीसी, रिडकोर, वीजीएफ, सुओमोटो एवं नाबार्ड के सहयोग से लगभग 5000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण।
- ◆ ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर विशेष ध्यान। चालू वर्ष में 945 मेगावाट, ग्यारहवीं योजना के अंत तक 1 हजार 860 मेगावाट, और बारहवीं योजना के अंत तक 10 हजार 260 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता की योजना।
- ◆ नई सौर ऊर्जा नीति।
- ◆ जल संसाधन हेतु आगामी वर्ष 777.58 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- ◆ पेयजल हेतु वर्ष 2010-11 में योजना मद में 1231 करोड़ रुपये एवं सीएसएस में 284 करोड़ रुपये का प्रावधान। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 1100 करोड़ रुपये और।
- ◆ मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष से वृद्धावस्था, विधवा तथा विकलांग पेंशनर को भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा।
- ◆ 150 अतिरिक्त "108 एंबुलेंस"
- ◆ सीएचसी तथा जिला अस्पतालों में 750 शय्याओं की वृद्धि।
- ◆ सभी जिला अस्पतालों एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर आने वाले सीएचसी में ट्रोमा इकाइयां।
- ◆ चित्तौड़गढ़ में जनरल नर्सिंग कॉलेज।
- ◆ नया यूनानी निदेशालय।
- ◆ चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध चिकित्सालयों में 1000 शय्याओं की वृद्धि।
- ◆ नई निःशक्तजन नीति।
- ◆ वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन की दरों में बढ़ोतरी, 75 वर्ष से कम आयु के लिए 500 रुपये एवं 75 वर्ष से अधिक आयु के लिए 750 रुपये।
- ◆ अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों की क्षमता में वृद्धि एवं 11 तहसील मुख्यालयों पर नये छात्रावासों का निर्माण।
- ◆ निःशक्त बालक, बालिकाओं के निजी विद्यालयों को अनुदान हेतु 1 करोड़ रुपये का प्रावधान।

- ◆ विशेष पिछड़े वर्ग के लिए उत्तरमैट्रिक स्कॉलरशिप एवं आरएएस तथा आईएएस की तैयारी हेतु विशेष अनुदान।
- ◆ अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु विशेष पैकेज, मदरसों में 1000 शिक्षा सहयोगी, पुस्तकालय, कम्प्यूटर, फर्नीचर हेतु 2 करोड़ रुपये।
- ◆ अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं हेतु जयपुर में नया छात्रावास।
- ◆ काथोडी समुदाय के परिवारों हेतु 200 पक्के आवास।
- ◆ आदिवासी कृषक परिवारों हेतु उद्यानिकी विकास के लिये 3 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान, 38 हजार परिवारों को लाभांशित करने का लक्ष्य।
- ◆ जनजाति परिवारों के पशुधन की गुणवत्ता में सुधार के लिये 3 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- ◆ अनुसूचित जन जाति के परिवारों के पलायन को रोकने के लिये 3 करोड़ रुपये की योजना।
- ◆ महिला स्वयं सहायता समूहों के ऋणों पर देय ब्याज पर 50 प्रतिशत अनुदान।
- ◆ सभी जिला मुख्यालयों पर महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र।
- ◆ ग्राम रोजगार सहायकों के मानदेय में 1000 रुपये की वृद्धि।
- ◆ राजस्थान ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा का गठन प्रस्तावित।
- ◆ मिड-डे मील कार्यक्रम के तहत खाना पकाने के लिये 1000 रुपये मानदेय पर रसोईयों की व्यवस्था।
- ◆ मौसम आधारित फसल बीमा योजना का सभी जिलों में विस्तार।
- ◆ सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को 797 करोड़ रुपये की इनपुट सबसिडी।
- ◆ चारा पैदा करने के लिये मिनीकिट्स का वितरण।
- ◆ फसली ऋण हेतु 5000 करोड़ रुपये, 21 लाख किसानों को लाभांशित करने का लक्ष्य।
- ◆ डी.ए.पी. एवं यूरिया का अग्रिम भंडारण।
- ◆ पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार।
- ◆ उदयपुर में नया फिशरीज़ कॉलेज।
- ◆ राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना।
- ◆ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत थोक विक्रेताओं का कमीशन 5 रुपये प्रति क्विन्टल से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति क्विन्टल एवं खुदरा विक्रेताओं का कमीशन 8 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति क्विन्टल।
- ◆ बी.पी.एल. परिवारों को 2 रुपये प्रति किलो अनाज।
- ◆ राज्य के प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर आई.टी.आई. की स्थापना।

- ◆ जिले में कक्षा आठ, दस व बारह में प्रथम आने वाली अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक एवं निःशक्त बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार।
- ◆ दसवीं बोर्ड में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को विदेश में शिक्षा की सुविधा।
- ◆ अजमेर में पृथक राजकीय कला स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना।
- ◆ ई-सचिवालय की क्रियान्विति प्रारंभ।
- ◆ आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिये नया राजस्थान इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट एक्ट
- ◆ आर.एस.एम.एम.एल. की 10 प्रतिशत हिस्सा पूँजी का विनिवेश।
- ◆ वैध खनन के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करना।
- ◆ सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिये विशेष प्रयास, यातायात विभाग का सुदृढीकरण।
- ◆ राज्य शहरीकरण आयोग का गठन।
- ◆ 400 करोड़ रुपये के राजस्थान अरबन डवलपमेंट फण्ड की स्थापना।
- ◆ नगरीय विकास कर, क्षेत्रफल के आधार पर एवं सेल्फ असेसमेंट की सुविधा।
- ◆ मेलों एवं अन्य आयोजनों में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था हेतु मेला ओथरीटी का गठन।
- ◆ जयपुर तथा जोधपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली।
- ◆ स्टेट डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स का गठन।
- ◆ उच्च न्यायालय एवं ज्यूडिशियल एकेडमी के जोधपुर में नये भवनों का निर्माण।
- ◆ जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं अजमेर में रेंट ट्रीब्यूनल एवं अपीलीय रेंट ट्रीब्यूनल।
- ◆ प्रदेश में 7 पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना।
- ◆ उपनिवेशन क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2010 तक बकाया ऋण की किश्तें चुकाने पर ब्याज माफी।
- ◆ द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों की विधवाओं की पेंशन 800 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये।
- ◆ अलवर में नया कलक्ट्रेट भवन।
- ◆ स्वतंत्रता सैनानियों की पेंशन 8,000 रुपये बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रतिमाह।
- ◆ समाचार पत्रों की विज्ञापन दरों में संशोधन।
- ◆ वेतन उच्चीकरण एवं विसंगति निराकरण समिति की सिफारिशें प्राप्त होने पर शीघ्र कार्यवाही।